फर्द अहकाम

बनाम हरिओम

न्यायालय जेरसी

संख्या 94/19

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/9/22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] साहब [illegible] है। अतः पत्रावली [illegible] 19/10/22 को पेश हो।	
	19/10/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं वक्त अदालत प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गई उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का प्रा० पत्र अस्वाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (ग्रामीण)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:07:51 IST
Reason: SelfAttested